संख्या-94/2016/2157/सैंतीस-2-2016-1(21)/12

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश के संलग्नक में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-264/सा0-1/एक्स-120(187)/2016-17, दिनांक-07.09.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-93/2016/1845/सैंतीस-2-2016-1(21)/12, दिनांक-05.09.2016 द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत रू0-881.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति उक्त शासनादेश के साथ संलग्न जनपदवार फॉट/विवरणानुसार निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के संलग्नक के कॉलम-6 में "42-अन्य व्यय" के स्थान पर त्रुटिवश "06-अन्य भत्ते" अंकित हो गया है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दि0-05.09.2016 के संलग्नक के कॉलम-6 में अंकित "06-अन्य भत्ते" के स्थान पर "42-अन्य व्यय" पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक-05.09.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-94/2016/2157(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in